



पत्रांक-आर/जीएडी/विविध/28/ 29852

दिनांक-21 सितम्बर, 2019

परिसर परिपत्र

विश्वविद्यालय परिसर की स्वच्छता, दिन-प्रतिदिन की सामान्य सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता और सुरक्षित यातायात को सुनिश्चित करने की दिशा में परिसर में निवास करने वाले विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिनांक 07.06.2019 को लिये गये निर्णय से अवगत कराया जा रहा है जो निम्नवत् है :-

**ECR No. 107, बिन्दु संख्या-3**

“पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय परिसर में छुट्टा पशुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिससे परिसर में दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है, पहले भी सड़को पर आपस में लड़ते हुए छुट्टा पशुओं द्वारा कई लोगों को चोटिल किया गया है, इसलिए ऐसे छुट्टा पशुओं को परिसर से दूर रखना आवश्यक है। परिसर वासियों को दूध के लिए परिसर में पशुओं को पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिसर में दूध बूथों पर पर्याप्त दूध की उपलब्धता है।”

विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् के उपरोक्त आदेश के सापेक्ष में परिसर में निवास करने वाले विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों से निवेदन है कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। आदेश के अवहेलना की स्थिति में निम्नवत् कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जा सकती है :-

1. प्रथम बार यदि कोई पशु सम्बन्धित कर्मचारी के आवासीय परिसर में पाया जायेगा तो सम्बन्धित कर्मचारी को ₹0 500/- दण्डस्वरूप मुख्य आरक्षाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
2. दूसरी बार यदि कोई पशु सम्बन्धित कर्मचारी के आवासीय परिसर में पाया जायेगा तो सम्बन्धित कर्मचारी के पशु का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। साथ ही साथ सम्बन्धित कर्मचारी के आवास का आवंटन भी निरस्त करते हुए आवास खाली करने के लिए आदेश निर्गत किया जायेगा।



बी. एस. त्रिपाठी  
21/9/19  
सहायक कुलसचिव  
(सामान्य प्रशासन)  
बी.एस. त्रिपाठी

H.M.

Urb

26-09-19

